

# कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर—रामानुजगंज (छत्तीसगढ़)

—:: निविदा सूचना ::—

क्रमांक/6885/प्रपत्र शा0/2017

बलरामपुर, दिनांक 14/06/2017

बलरामपुर—रामानुजगंज जिले के लिये लेखन से संबंधित सामग्री विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017—2018 के लिये कार्यालयीन उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के लेखन से संबंधित सामग्री क्रय किया जाना है। अतएव बलरामपुर—रामानुजगंज जिले के इच्छुक लेखन सामग्री विक्रेताओं से निर्धारित सील बंद निविदा दिनांक 29.06.2017 को दोपहर 03.00 बजे तक अधीक्षक जिला कार्यालय बलरामपुर—रामानुजगंज के कक्ष में जमा कर सकते हैं, तथा दिनांक 30.06.2017 को दोपहर 03.00 बजे प्राप्त निविदाये निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा शर्तें तथा आवेदन पत्र दिनांक 29.06.2017 को 02.30 बजे तक रुपये 5000/— (पांच हजार रुपये) निविदा शुल्क जिला कार्यालय के नाजरात शाखा में नगद जमा कर रसीद प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा शर्तें :-

- 1— निविदा सील बंद लिफाफा दिनांक 29.06.2017 को 03.00 बजे अपराह्न तक अधीक्षक जिला कार्यालय बलरामपुर में प्राप्त हो जाना चाहिये, बाद में प्राप्त होने वाले निविदाकारों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 2— निविदाकारों को अपनी निविदा में वाणिज्यकर का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य होगा, वाणिज्यकर क्रमांक अंकित न होने पर निविदा वैध नहीं मानी जावेगी।
- 3— निविदा कार्यालयीन समय पर कलेक्टर कार्यालय अधीक्षक कक्ष में कार्यालयीन समय में (लेखन एवं प्रपत्र सामग्री) प्रदाय करने हेतु निविदा लाल स्याही से अंकित करें। फर्म/संस्था का नाम व पता साफ अक्षरों में लिफाफा के उपर लिखना अनिवार्य है।
- 4— निविदा के साथ प्रत्येक सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सामग्री का नाम किस कम्पनी द्वारा निर्मित है, सामग्री की मात्रा, साईज, मूल्य निर्माता मय कम्पनी का नाम आदि स्पष्ट लिखना होगा। बिना नमूना के प्राप्त निविदा को शामिल नहीं किया जावेगा। संलग्न सूची में चाही गई सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री का निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा। यह दर दिनांक 31.03.2018 तक मान्य होगा, निविदा स्वीकार किया उसका नमूना 31.03.2018 तक सुरक्षित रखा जावेगा।
- 5— निविदा के साथ प्रतिभूति के रूप में रुपये 5000/— (पांच हजार रुपये) मात्र नगद जिला कार्यालय के नाजरात शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना प्रतिभूति राशि जमा किये प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- 6— सामग्री की मांग आदेश प्राप्त होने पर तत्काल जिला के सभी कार्यालयों को 03 (तीन) दिवस के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
- 7— प्रदाय की गई कोई भी सामग्री नमूने के अनुसार न होने अथवा निम्न स्तर की होने या कम होने की दशा में सामग्री निविदाकारों का स्वयं के व्यय पर वापिस उटानी होगी।
- 8— निविदा स्वीकृति के सूचना के पश्चात् समय-समय पर कार्यालय द्वारा भेजे गये मांग पत्र अनुसार सामग्री सप्लाई करना अनिवार्य होगा। सफल निविदाकारों को स्वयं के व्यय पर सामग्री जिला मुख्यालय के कार्यालय में पहुचाना होगा। मात्र पत्र अनुसार सामग्री सप्लाई उपलब्ध न करने की दशा में सामग्री अन्य दुकानों से क्रय की जावेगी और उस पर होने वाली आर्थिक क्षति की रकम निविदाकारों की डिपोजिट उसकी राशि में से अन्यथा भू-राजस्व की वसूली की भांति वसूल की जावेगी तथा उनके फर्म को काली सूची में दर्ज किया जावेगा।

